न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1.खुमाराम वल्द गमनाजी 2.पीराराम पुत्र गमनाजी 3.लक्ष्मणाराम पुत्र गमनाजी 4.मूलाराम पुत्र गमनाजी जाति माली निवासी दुठवा तहसील सांचोर जिला जालोर 5.मानाराम पुत्र गमनाजी के वारिशान 5/1.माईगाराम पुत्र मानाराम 5/2.मूपाराम पुत्र मानाराम 5/3.मेवाराम पुत्र मानाराम 5/4.रणछोडाराम पुत्र मानाराम जाति माली निवासी दुठवा तहसील चितलवाना हाल,तहसील साचोर जिला जालोर		1.गणेशा वल्द अचलाजी जाति माली के कायम मुकाम:- 1/1.कुम्भाराम पुत्र गणेशाराम 1/2.राणाराम पुत्र गणेशाराम 1/3.चूनाराम पुत्र गणेशाराम जाति माली निवासी पादरडी तहसील चितलवाना जिला जालोर 2.सरकार जरिए तहसीलदार चितलवाना

प्रकरण संख्या अपील 14/2017

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ फैसला सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांचोर मुकदमा होती गांव, दुठवा द्वारा मिसल संख्या 295/1956 मौजा दुठवा तहसील सांचोर हाल, तहसील चितलवाना अनवान गुमना वगैरा में दिनांक 01.04.1956 में सादिर फरमाया गया।

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री सरदार खान खोखर अभिभाषक अपीलान्ट

2.श्री रमेश कुमार सोंलकी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:- 09.10.2019

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ अदालत सहायक भू प्रबन्ध सांचोर द्वारा अपीलाधीन फैसला मिसल नंबर 295/1956 दिनांक 06.4.1956 अपीलांट के पिता गमना वल्द वरदा जाति माली निवासी दुठवा के खिलाफ विधी विधान एवं कानून सुनिश्चित सिद्धान्तो के विपरीत सादिर फरमाया है। गुमना वल्द वरदा का स्वर्गवास वर्ष 1995 में हो गया है जिनके पुत्र अपीलांटस संख्या 1 से 4 है एवं मानाराम पुत्र गमनाजी का स्वर्गवास दिनांक

19.11.2014 को हो गया है उनके वारिशान अपीलांन्टस संख्या 5/1 से 5/4 तक है, जो कानूनी वारिश होने से अन्य अपीलांटस संख्या 1 से 4 के साथ गमना के वारिशान होने से पेश की है।

सरहद मौजा दुठवा की खातेदारी खसरा नंबर 700 रकबा 47 बीघा 18 विस्वा की आई हुई है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 61 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 62 रकबा 2.11 हैक्टर, खसरा नंबर 63 रकबा 2.00 हेक्टर, खसरा नंबर 64 रकबा 1.68 हैक्टर तथा खसरा नंबर 65 रकबा 1.79 हैक्टर बने है। अधीनस्थ अदालत ने उपरोक्त फैसला दिनांक 06.04.1956 को सादीर फरमाने के बाद कोई डिक्री पर्चा जारी नही किया एवं डिक्री पर्चा की नकल मांगने के बाद भी हमको प्राप्त नही हुई है, जिस पर फैसला की प्रति इस अपील के साथ पेश की गयी है। चूंकि डिक्री पर्चा जारी नही किया गया है जिसका शपथपत्र भी हमारे द्वारा पेश किया हुआ है। ऐसे हालात में फैसले के आधार पर उक्त निर्णय सादिर फरमाया जावे। पर्चा लगान सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान ग्राम दूठवा तहसील सांचोर की जिल्द संख्या 967 पर्चा नंबर 212 म्याद बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 तक है। उक्त पर्चा लगान सैटलमेन्ट में स्पष्ट तौर से गुमना वल्द वरदा कौम माली साकिन देह लिखा हुआ था इस पर दूसरे अक्षरो में कांट छांट कर गणेशा वल्द अचला का 1/2 हिस्सा लिखा गया। मिसल संख्या 295/1956 का हवाला देकर दिनांक 25.04.1956 को कांट छांट कर खारिज लिखा। उसके निचे ही देवीलाल लिखकर दिनांक 29.05.1956 कांट छांट कर लिखा गया एवं भू प्रबन्ध अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे 31.10.1955 की तारीख लिखी गयी है। इसी प्रकार आगे गमना का अगूंठा निशान कर हीरसिंह जागीरदार के हस्ताक्षर पेज के पिछे खाली स्थान पर करवाये गये है यह अगूंठा हीरसिंह के हस्ताक्षर जहां कांट छांट की उस पेज पर नही करवाये गये रिक्त पेज पर करवाये गये। इसी प्रकार एक दुसरा पर्चा लगान सैटलमेन्ट विभाग राजस्थान द्वारा जिल्द नंबर 941 पर्चा नंबर 10 का बनाया गया है जिस पर हस्ताक्षर के नीचे 23.05 लिखा हुआ है इसी प्रकार सैटलमेन्ट राजस्थान राज्य डिवीजन जोधपुर द्वारा पर्चा खतौनी गांव दुठवा नंबर 221 पर्चा लगान जिल्द नंबर 969/22 संवत 2009 लिखा हुआ है। उसमें गुमाना वल्द वरदा कौम माली साकिन खातेदार लिखा हुआ है। उसमें भी कांट छांट कर बाद में निचे गुमना वल्द वरदा का 1/2 किया दिया गया। इस पर जरिए ए.आर.ओ के 25.04.1956 की दुरूस्ती करना लिखा है। इस प्रकार आगे भी विभिन्न तरह की कांट छांट कर सैटलमेन्ट विभाग राजस्थान राज्य डिवीजन जोधपुर के खसरा बंदोबस्त दुठवा के 7 नंबर कॉलम में गुमना वल्द वरदा कॉलम के उपर कांट कांट कर 1/2 लिखा गया है। जिससे साफ जाहिर है कि तमाम कार्यवाही और कांट छांट गुमना वल्द वरदा की सम्पूर्ण खातेदारी 1/2 करने के लिए सारे दस्तावेज कुटरचित है और एक सोची समझी साजिश के तहत कूट रचना कर तैयार किए गये। इस प्रकार इसी प्रकरण का खातेदारी बाबत खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा मिसल संख्या 295/1956 दिनांक 23.11.1955 गुणेश द्वारा केवल ए.आर.ओ लिखकर पेश किया जगह व स्थान का नाम नही लिखा यहां तक कि किसी ऑडर शीट पर कोई तारीख नही लिखी गयी। गमना का जबाब चंद पंक्तियो का लिखा हुआ दिनांक 18.04.1956 को पेश हुआ। जबकि दावा 17.4.1956 का

लिखा हुआ है।इसी के साथ 23.11.1955 का भी पेश हुआ और जबाब 18.4. 1956 का गुमाना का दो जगह अगूँठा लगा हुआ जबाब दावा पेश हुआ है जो अगूंठा गमना के वकालतनामा में लगे हुए अगूंठे से मेल नही खाता है एवं यह अगूंठा पर्चा लगान, सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान के जिल्द नंबर 969 पर जो गुमना का अगूंठा के निशान से भी मेल नही खा रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी पुराने खसरा नंबर 700 रकबा पौने अडतालीस बीघा 3 बिस्वा पर हम अपीलांट का कब्जा कास्त है। और यह खातेदारी गमना वल्द वरदा के नाम से दर्ज थी। ऐसी सूरत में दावा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के सम्पूर्ण गलत तथ्यो के आधार पर पेश हुआ। गमना के बयान किस तारीख को, कब लिये गये इसका भी कोई हवाला नही है। इसके अलावा उसका अगूंठा भी बयानो के निचे नही है। ऐसी सूरत में पत्रावली के तमाम तथ्य बिना आधार और बिना सबूत के है। गमना कभी भी सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पेश नही हुआ है और न ही उसने कोई वकील रखे और न ही उसने अगूंठा किया है सारी कार्यवाही पीठ पीछे षडयन्त्र पूर्वक हमारी खातेदारी हडपने के लिये हुई है। गमनाजी ने भी हमको कभी भी सहायक प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही होने के तथ्य नही बताये। यहां तक कि कहते थे कि उपरोक्त आराजी बाप दादाओ के समय से कब्जा काश्त और मालिकाना हक की है। मेरे बाद आप सभी इस पर खेती करना तुम्हारा घर परिवार आराम से चलेगा। रेस्पोडेन्टस हमको धमकी देते है कि हम अपीलांटस को पिछले दिनो से दिनांक 19.12.2016 की धमकी दी कि हम उपरोक्त खातेदारी पर जबरदस्ती कब्जा करेगे व ऋण आदि उठायेगे एवं उसको हस्तानान्तरण आदि कर लेगे जिस पर हमे शक हुआ तब उपरोक्त सम्पूर्ण पत्रावली की नकल फैसला मय डिक्री पर्चा दिनांक 24.12.2016 को पेश की जो बडी मुश्किल से दिनांक 16.01.2017 को प्राप्त हुई। इस प्रकार सर्वप्रथम हमको जानकारी दिनांक 16.01.2017 को फैसले की हुई तथा डिक्री पर्चा की नकल हमें प्राप्त नही हुई है। इस प्रकार फैसला की नकल मिलने दिनांक 16.1.2017 को नकल मिलने से यह अपील अन्दर म्याद शुमार फरमावे। डिक्री पर्चा की नकल प्राप्त नही हुई। फैसला दिनांक 01. 04.1956 अधीनस्थ अदालत ने सादिर फरमाया एवं आज तक डिक्री पर्चा नही बनाया गया है ऐसी सूरत में डिक्री यदि बनाई जाती है तो डिक्री पर्चा मानने योग्य नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जो भूमिधारी एवं पंजीयन अधिकारी भी है वे ही होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। अपील अपीलांटस दूठवा तहसील सांचोर हाल चितलवाना जिला जालोर (राजस्थान) के निवासी होने से एवं निर्णय भी भू प्रबन्ध अधिकारी ग्राम दूठवा का फैसला है जिससे अपील अपीलांटस श्रीमान के क्षैत्राधिकार की है।

अत: अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ अदालत का फैसला दिनांक 01.04.1956 सहायक भू प्रबन्ध मुकाम दुठवा होती गांव को खारिज फरमाकर पुन: हमारे नाम सम्पूर्ण खातेदारी दर्ज करवायी जाने का आदेश प्रदान करावे विकल्प में यह भी निवेदन है कि किसी भी सूरत में डिक्री पर्चा बाद में उपलब्ध होने पर उसे भी खारिज फरमाया जावे। इसी के साथ अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया

गया कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का फायदा दिलाते हुए अपील अन्दर मयाद शुमार फरमावे।

रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया गया है कि प्रथम सेटलेमेंट के वक्त सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, सांचौर द्वारा ग्राम दूठवा के खसरा नं. 700 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा की भूमि के 1/2 हिस्से पर रेसपोडेन्ट के पिता गणेशा का कब्जा काश्त था। जिससे सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, सांचौर द्वारा बकायदा प्रकरण दर्ज कर दोनों पक्षों की सुनवाई कर दिनांक 01.04.1956 को निर्णय पारित किया गया जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट के पिता गणेशा का 1/2 हिस्से की खातेदारी आराजी दी गई। जिसका ज्ञान गुमना को था तथा गुमना ने अपने जीवन काल में कोई उजर एतराज आदि नही किया तथा न ही उक्त निर्णय की कोई अपील, रिविजन आदि सक्षम न्यायालय में नही की गई तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट प्रथम सेटलमेंट के पहले से ही 1/2-1/2 हिस्से पर काश्त करते आ रहे है। गुमना की मृत्यु पटवारी हल्का दूठवा द्वारा दिनांक 23.10.2003 को फौतगी म्यूटेशन भरते वक्त गुमना फौत हुए करीब 12 वर्ष होने से इनके उतराधिकारी प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत दूठवा के आधार पर नामान्तकरण भरा गया का कथन किया गया है जिससे गुमना की मृत्यु दिनांक 23.10.2003 से पूर्व 12 वर्ष यानि 1991 को हो चुकी थी फिर भी अपीलांट द्वारा अपील के पैरा सं. 2 में गुमना वल्द वरदा का स्वर्गवास वर्ष 1995 में होने का कथन किया गया है जो विरोधाभाषी है यानि अपीलांट को यह पता भी नही है कि अपीलांट के पिता की मृत्यु कब हुई है। गुमना वल्द वरदा की मृत्यु होने के बाद दिनांक 23.10.2003 को फौतगी म्यूटेशन सं. 30 भरा गया है उस वक्त भी रेसपोडेन्ट के पिता गणेशा वल्द अचला का 1/2 हिस्सा बहैसियत खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज था तथा उसी माफिक कब्जा कास्त भी 1955 से आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जिसका ज्ञान गुमना वल्द वरदा को था गुमना की मृत्यु के बाद उनके वारिसान अपीलांटस को बखुबी था फिर भी अगर खातेदारी को लेकर कोई उजर ऐतराज होता तो 1991 ये लेकर 2016 तक कोई कार्यवाही नही करना अपने आप में स्वीकृति थी फिर भी वर्ष 2016 में दिनांक 19.12.2016 को रेस्पोडेन्ट गणेशा के वारिसान कुम्भाराम वगैरा द्वारा धमकी देने का कथन किया गया है जो सरासर गलत है। क्योंकि गणेशा के जीवनकाल में गणेशा का तथा गणेशा की मृत्यु के बाद गणेशा के कायम मुकाम का कब्जा काश्त उक्त आराजी पर चला आ रहा है। जिससे दिनांक 19.12.2016 को किसी प्रकार की कोई धमकी अपीलांटस को देने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। आगे इसी पद में कथन किया है कि ऋण आदि भी उठा लेगे जबकि रेस्पोडेन्ट के पिता गणेशा ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर जालोर सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक शाखा, सांचौर से ऋण लिया था, जिसका चुकारा करने पर दिनांक 30.06.2010 को रहनमुक्त का म्यूटेशन भरा गया है। जिससे भी साफ जाहिर है कि ऋण देते वक्त उक्त आराजी पर बैंक के कर्मचारी मौका देखने अवश्य आये तब भी अपीलांटस के द्वारा किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नही किया जाना अपने आप में स्वीकृति होना दर्शाता है। फिर भी दिनांक 24.12.2016 को नकल फैसला मय डिक्री पर्चा हेतु आवेदन करना प्रार्थना पत्र में लिखा गया है लेकिन

कहा, किसको प्रस्तुत किया गया कोई कथन नही किया गया है। करीब 23 दिन बाद दिनांक 16.01.2017 को नकल प्राप्त होना अंकित किया गया है जो अपने आप में हास्यप्रद है क्योकि अर्जेन्ट नकल तीन दिन में तथा साधारण नकल सात दिन में मिल जाती है फिर भी 23 दिन बाद मिलना अंकित किया गया है दिनांक 16.01.2017 को नकल मिलने के बाद अपील राजस्व अपील अधिकारी, पाली केम्प जालोर को अपील दिनांक 14.02.2017 को प्रस्तुत की गई है लेकिन धारा 5 परिसीमा अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि देरी का कारण प्रत्येक दिन का स्पष्ट करना होगा लेकिन अपीलांट द्वारा नकल मिलने के उपरान्त दिनांक 16.01.2017 से दिनांक 14.02.2017 तक अपीलांट ने क्या-क्या किया इसका उल्लेख इस प्रार्थना पत्र में नही है तथा क्षैत्राधिकार नही होते हुए भी अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, पाली कैम्प, जालोर को पेश की गई तथा वहां से दिनांक 17.05.2017 को पुन: लौटाने का उल्लेख अपील मीमो की पुस्त पर है जो अपील दिनांक 19.06.2017 को प्रस्तुत की गई है जो भी देरी से यादि दिनांक 17.05.2017 को लौटाने के बाद दिनांक 19.06.2017 को प्रस्तुत की गई है जो देरी का कोई कारण अथवा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे साफ जाहिर है कि अपीलांट के पिता गुमना तथा गुमना की मृत्यु के बाद अपीलांट को फौतगी म्यूटेशन भरवाने की तारीख दिनांक 23.10.2003 से पूर्व से पूर्ण जानकारी होते हुए भी कोई कार्यवाही नही की गई है जिससे साफ जाहिर होता है कि उक्त आराजी में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का 1/2-1/2 हिस्सा होने से कभी भी कोई उजर एतराज नही किया गया तथा अब जमीनों के भाव बढ जाने से केवल रेसपोडेन्टस को हैरान व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों से यह अपील पेश की है जिससे प्रार्थी की अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने योग्य नही होने से खारीज की जावे। अत: जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को मय खर्चा खारीज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांटस द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रुप से दोहराते हुए कथन किया है कि मौजा दुठवा तहसील सांचौर में खसरा नम्बर 700 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा भूमि गमना पुत्र वरदा कौम माली की थी। अपीलांटस गमना पुत्र वरदा के वारिसान है सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांचौर मुख्यालय होतीगांव के न्यायालय मे विचाराधीन रहे प्रकरण संख्या 295/1956 में निर्णय दिनांक 06.04.1956 के जरिये प्रतिवादी गणेशा द्वारा 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त की गई है। निर्णय दिनांक 06.04.1956 के साथ में डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान में स्पष्ट तौर से गुमना वल्द वरदा कौम माली साकिन देह लिखा हुआ था। इस पर दुसरे अक्षरो में कांट छांट कर गणेशा वल्द अचला का 1/2 हिस्सा लिखा गया है। पत्रावली संख्या 295/1956 में कोई दिनांक आदि नहीं लिखी गई है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा उक्त दावे मे सुनवाई हेतु खातेदार गुमना को नोटिस नही दिया और न ही तामिल हुआ है। वर्ष 1956 की पत्रावली में गमना का जबाव फर्जी है। क्योकि गुमना के जबाव पर एडवोकेट के हस्ताक्षर नही है। दावा दिनांक 17.04.1956 को पेश और गमना का जबाव दिनांक 18.04.1956 को पेश हुआ है। जबकि गमना कभी भी सहायक भू

प्रबन्धक अधिकारी के समक्ष पेश नही हुआ है। वर्ष 1956 में दावा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया था। जिसमें हुए निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी नहीं हुआ है। बिना डिक्री पर्चा के खातेदारी को चेन्ज नहीं किया जा सकता है। अत: अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारीज कर पुन: अपीलाटं के नाम सम्पुर्ण खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर भी कथन किया गया कि मिसल नम्बर 295/1956 मौजा दुठवा के निर्णय दिनांक 01.04.1956 की जानकारी अपीलांट को दिनांक 19.12.2016 को हुई जब रेस्पोडेट गणेशा के वारिसान कुम्भाराम वगैरा ने धमकी दी की उपरोक्त खातेदारी पर जबरदस्ती कब्जा कर ऋण ले लेगें तथा उसका हस्तान्तरण भी कर ले लेगें । जिस पर अपीलांट को शक तब सम्पुर्ण पत्रावली की नकल हेतु दिनांक 24.12.2016 को आवेदन पत्र पेश करने पर दिनांक 16.01.2017 को नकल प्राप्त हुई। जिसमें डिक्री पर्चा की नकल नहीं मिली। इस प्रकार नकल मिलने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई इससे पुर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। इस निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी पाली केम्प जालोर के न्यायालय में दिनांक 14. 02.2017 को पेश की गई । जिसे राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा क्रमांक 105 दिनांक 17.05.2017 के जरिये अपील पुन: लोटाकर निर्देश दिये कि सुनवाई का अधिकारी क्षैत्र नहीं होने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे। इस प्रकार अपील पुन: प्राप्त होने पर श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अत: देरी के लिए क्षमा करतें हुए अपील को अदर म्याद शुमार फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा तर्क दिया गया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांचौर के न्यायालय में दावा बाबत् दुरूस्त कराने ईन्द्राज खेत खसरा नम्बर 700 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा गुणेशा वल्द अचला द्वारा प्रस्तुत करने पर मिसल संख्या 295/1956 कायम हुई । जिसमें दिनांक 06.04.1956 को निर्णय हुआ। जिसके आधार पर रेस्पोडेट को 1/2 हिस्से की खातेदारी के अधिकार प्राप्त हुए है। प्रकरण संख्या 295/1956 में गमना वल्द वरदा कौम माली द्वारा दिनांक 18. 04.1956 को ईकबालीया जबाव प्रस्तुत किया गया तथा गमना वल्द वरदा द्वारा दिये गये बयानों एवं कब्जे के आधार पर सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी सांचौर द्वारा दिनांक 06.04.1956 को निर्णय पारित किया गया है। इसी के आधार पर दोनो पक्षो को 1/2 -1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। अपीलांट द्वारा निर्णय दिनांक 06.04.1956 के विरूद्ध यह अपील 61 वर्ष व्यतीत होने के बाद जानकारी का अभाव होना बताते हुए प्रस्तुत की गई है। जबकि वादग्रस्त आराजी पर प्रथम सेटलमेन्ट के पूर्व से ही अपीलांट व रेस्पोडेट अपने-अपने 1/2-1/2 हिस्सा आराजी पर काश्त करते आ रहे है। अपीलांट के पिता गमना की मृत्यु होने पर नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 31.10.2003 को स्वीकृत हुआ है। तब गुमना वल्द वरदा 1/2 गणेशा वल्द अचला 1/2 कौम माली साकिन देह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। जिसकी जानकारी अपीलांट को भलीभांती रही है। रेस्पोडेट के पिता गणेशा वल्द अचला द्वारा खसरा नम्बर 61,62,63,64 व 65 कुल रकबा 7.76 में से 1/2 स्वयं के हिस्से की खातेदारी भूमि को रहन रखकर जालोर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैक शाखा सांचौर से ऋण प्राप्त किया गया था तथा रहन मुक्त का नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 17.01.2013 को

स्वीकृत भी हुआ है। बैक द्वारा ऋण स्वीकृत करने से पूर्व खातेदारी हक के साथ खातेदार का मौके पर कब्जा होने का भौतिक सत्यापन भी किया जाता है। उक्त ऋण स्वीकृत से पूर्व बैक अधिकारी द्वारा कब्जे का सत्यापन किया गया। उस वक्त अपीलांट भी अपने हिस्से की आराजी पर उपस्थित थे। इस प्रकार रेस्पोडेंट लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसकी जानकारी अपीलांट को भी है। अपीलांट के पिता गमना वल्द वरदा की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार में अपीलांटस के नाम नामान्तरकरण होकर जमाबन्दी में दर्ज हुए है। जिससे भी अपीलांटस को यह जानकारी थी, कि उपरोक्त सम्पुर्ण आराजी में 1/2 हिस्से की आराजी के खातेदार है। अपीलांटस द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत अवश्य किया है। लेकिन अपील में वाद कारण दिनांक 19.12.2016 होना बताया है तथा मिसल नम्बर 295/1956 की नकल दिनांक 16.01.2017 को प्राप्त होना बताते हुए देरी के लिए माफी हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है। लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों अनुसार अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए प्रत्येक दिन का विवरण अंकित किया जाना होता है लेकिन अपीलांटस की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रत्येक दिन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने योग्य नही है।साथ ही यह कथन किया गया कि धारा 181 आर.एल.आर.एक्ट के तहत इस अपील को सुनने का अधिकार कलेक्टर को नही है।क्योंकि उक्त धारा में किसी क्षैत्र में जब बन्दोबस्त कार्य धारा 142 के अधीन बन्दोवस्त अधिकारी के समक्ष लम्बित रहे प्रकरणो के निस्तारण किये जाने की शक्तिया कलेक्टर के प्राप्त रहती है। अपीलांट द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।जो राजस्थान भू-अधिनियम की धारा 75(एफ) के अनुसार चलने योग्य नही होने से खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं रेकर्ड का अवलोकन भी किया। जिसके अनुसार अपीलांटस द्वारा यह अपील सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांचोर द्वारा मिसल संख्या 295/1956 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.1956 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जबकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (एफ) अनुसार सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी के रुप में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का क्षैत्राधिकार कलेक्टर को प्राप्त नही है।अत:अपीलांटस की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटायी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेन्द्रसोनी)
जिला कलेक्ट, जालोर

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्ट, जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: